



संख्या— प0नि0 30-95 / 2026.....3849

प्रेषक,

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त,
राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
—सह—जिला दंडाधिकारी, किशनगंज।

पटना, दिनांक— 22.09.26

विषय :— ठाकुरगंज प्रखंड अन्तर्गत परिसीमन के ऑनलाईन पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे अतिरिक्त EBs को वेबसाइट से विलोपित किये जाने के संबंध में।

प्रसंग:— आपका पत्रांक—1827, दिनांक—17.09.2026

महाशय,

उर्पयुक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा ठाकुरगंज प्रखंड अन्तर्गत परिसीमन के ऑनलाईन पोर्टल पर प्रदर्शित हो रहे अतिरिक्त EBs को वेबसाइट से विलोपित किये जाने का अनुरोध किया गया है परन्तु आपके पत्र से यह स्पष्ट नहीं है कि किस कारण उक्त EBs को विलोपित किया जाना है।

ज्ञातव्य हो कि संबंधित EBs के साथ जनसंख्या भी अंकित किया गया है जो किसी राजस्व ग्राम की जनसंख्या का भाग हो सकता है ऐसी स्थिति में यदि उक्त EBs को आयोग के वेबसाइट से विलोपित किया जाता है तो संबंधित राजस्व ग्राम की जनसंख्या भी कम हो जाएगी।

उल्लेखनीय है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 (यथासंशोधित) की धारा—11(1) के प्रावधानानुसार पंचायतों के परिसीमन की शक्ति जिला दंडाधिकारी में ही निहित है। तदालोक में पंचायती राज विभाग की अधिसूचना संख्या—10745, दिनांक—20.07.2026 द्वारा पंचायतों के परिसीमन का कार्य राज्य निर्वाचन आयोग के सामान्य या विशेष आदेश, निदेश एवं अनुदेश तथा निर्देशन एवं पर्यवेक्षण के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी को ही अधिकृत किया गया है।

परिसीमन से संबंधित ऐसे मामले प्राप्त होने पर उनकी जांच जिला स्तरीय पदाधिकारी से कराई जाए प्राप्त प्रतिवेदन पर अपने स्तर से गहन समीक्षा कर संतुष्ट हो लेने के उपरांत मामले का निराकरण जिला स्तर पर ही निर्णय लेते हुए किया जाए विशेष परिस्थिति में ही आयोग को मंतव्य सहित प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाए।

निदेशानुसार अनुरोध है कि तत्संबंधी दिशा—निदेश के आलोक में अपेक्षित कार्रवाई किये जाने की कृपा की जाए

विश्वासभाजन

संयुक्त निर्वाचन आयुक्त